# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........272/2014 व 273/2014.......... जिला ................अलवर..........................................................

उनवान : मैसर्स पारले बिस्किट्स प्रा0 लि0 नीमराणा (अलवर) बनाम वाणि. कर अधि., विशेष वृत–I, भिवाड़ी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07/03/2014 | **खण्डपीठ**<br>**श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य**<br>**श्री मदन लाल, सदस्य**<br><br>अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश क्रमशः 62 व 63/आरवेट/2013–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 11.02.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।<br><br>अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, भिवाड़ी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2013–14 (01.04.13 से 31.09.2013 एवं 01.10.2013 से 31.12.2013) के लिये वेट अधिनियम की धारा 22 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.01.2014 से सृजित मांग की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की हैं।<br><br>प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी एवं फ्राइड पोटेटो चिप्स को 5 प्रतिशत की दर से विक्रय किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों दिनांक 01.04.13 से 31.09.2013 एवं दिनांक 01.10.2013 से 31.12.2013 के लिये वेट अधिनियम की धारा 22 के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.01.2014 को पारित करते हुए विवादित बिक्री पर 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर क्रमशः रूपये 1,96,22,802/– व रूपये 99,29,744/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त मांग की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.02.2014 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा प्रकरणों में बकाया वसूली योग्य राशि क्रमशः रूपये 1,76,60,522/– व रूपये 89,36,770/– की वसूली कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।<br><br>अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि अपीलार्थी श्री ओ. पी. माहेश्वरी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।<br><br>**लगातार.............2** | |

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........272 / 2014 व 273 / 2014.......... जिला ................अलवर..........................................................

उनवान : मैसर्स पारले बिस्किट्स प्रा0 लि0 नीमराणा (अलवर) बनाम वाणि. कर अधि., विशेष वृत–I, भिवाड़ी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>–: 2 :– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07 / 03 / 2014 | अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण वेट अधिनियम की धारा 22 के तहत पारित किये गये हैं, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट विवरण प्रपत्रों अनुसार पूरा कर जमा कराया जा चुका है। कर निर्धारण अधिकारी ने ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को 14 प्रतिशत कर दर से मानते हुए अन्तर कर तथा मीठी गोली को ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी मानते हुए अन्तर कर आरोपित किया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार कर अदा नहीं करने या करापवंचन के मामलों में वेट अधिनियम की धारा 25 के तहत करारोपण किया जा सकता था। अविधिक आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों में स्थगन चाहे जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किये गये हैं, जो कि विधिसम्मत नहीं है।<br><br>अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा पोटेटो चिप्स की बिक्री की गई है, जो कि प्रसंस्कृत सब्जी (Processed vegetable) होने के कारण वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 107 के तहत 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की **रिट अपील संख्या 551 / 2009 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2009;** माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय की **डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या 1904 / 2011 में पारित निर्णय दिनांक 12.9.2011** एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड की **अपील संख्या 2293–2294 / 2012 / जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2013** का हवाला दिया है।<br><br>अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 131 अनुसार भी पोटेटो चिप्स नमकीन होने के कारण दिनांक 307.2009 से 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पोटेटो चिप्स पर 14 प्रतिशत कर आरोपित किया है। उनका कथन है कि प्रविष्ठि संख्या 131 में दिनांक 18.10.2006 से 4 प्रतिशत कर दर अनब्राण्डेड नमकीन ड्राईड पोटेटो चिप्स शामिल करते हुए प्रभावी की गई है। इसी प्रकार दिनांक 30.3.2007 से भी अनब्राण्डेड नमकीन ड्राईड पोटेटो चिप्स शामिल करते हुए 4 प्रतिशत से कर योग्य की गई है, लेकिन बाद में दिनांक 30.7.2009 से ब्राण्डेड व अनब्राण्डेड नमकीन को 4 प्रतिशत ही घोषित किया गया है, जिसमें ड्राईड पोटेटो चिप्स को बाहर नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में पोटेटो चिप्स पर भी नमकीन होने के कारण 4 प्रतिशत की दर से ही कर देयता रहती है। फिर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा वसूली पर स्थगन आवेदन को खारिज किया गया है, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।<br><br>**लगातार.............3** | |

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........272/2014 व 273/2014.......... जिला ................अलवर..........................................................

उनवान : मैसर्स पारले बिस्किट्स प्रा0 लि0 नीमराणा (अलवर) बनाम वाणि. कर अधि., विशेष वृत–I, भिवाड़ी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>–: 3 :– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07/03/2014 | अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा शुगर कैण्डी का विक्रय किया जाता है, जो कि वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 163 अनुसार 4 प्रतिशत से कर योग्य है। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने इसे कन्फैक्शनरी मानते हुए अन्तर कर 14 प्रतिशत से वसूल किया है। व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल शुगर कैण्डी में 50 प्रतिशत से अधिक शुगर और ग्लुकोज होने के कारण यह मुख्य रूप से शुगर कैण्डी ही है। फिर भी अपीलीय अधिकारी ने स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जो कि विधिक भूल है।<br><br>उक्तानुसार प्रकरणों में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में बताते हुए अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।<br><br>प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलर्थी द्वारा ड्राईड पोटेटो चिप्स का विक्रय किया जाता है, जो कि वेट अधिनियम की अनुसूची 1 से 4 में अधिसूचित नहीं है, इसलिए अनुसूची–5 अनुसार 14 प्रतिशत से कर योग्य है। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा विक्रय किये जाने वाले कथित शुगर कैण्डी में शुगर और ग्लुकोज के अलावा अन्य वस्तुएं यथा मिल्क/मैंगो सोलिड्स, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, स्टॉर्च, नमक, इमलसिफायर, अनुज्ञेय खाद्य सिंथेटिक्स कलर एवं फ्लेवरिंग सब्सटेन्सेज आदि की ब्लेंडिंग एण्ड मिक्सिंग होती है, जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय हीरालाल मुरलीधर निर्णय दिनांक 2.7.92 अनुसार कन्फैक्शनरी की श्रेणी में आता है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर विधिसम्मत रूप से आरोपित किया गया है, अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने के कारण अपीलें खारिज किये जाने पर बल दिया।<br><br>उभयपक्ष की बहस सुनने, अपील आधारों एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन करने तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करने से यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वेट अधिनियम की धारा 22 के तहत पारित आदेशों को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। विवादित बिन्दुओं पर कर निर्धारण अधिनियम की धारा 25/26 के तहत किया जा सकता है। अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरणों में बकाया वसूली योग्य राशि क्रमशः **रूपये 1,76,60,522/–** व **रूपये 89,36,770/–** की वसूली पर तीन माह की अवधि के लिये इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस<br><br>**लगातार............4** | |

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........272/2014 व 273/2014.......... जिला ................अलवर........................................................

उनवान : मैसर्स पारले बिस्किट्स प्रा0 लि0 नीमराणा (अलवर) बनाम वाणि. कर अधि., विशेष वृत–I, भिवाड़ी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज<br>—: 4 :— | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07/03/2014 | में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।<br>अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलों का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।<br>निर्णय सुनाया गया।<br>7.3.2014<br>सदस्य<br>राजस्थान कर बोर्ड<br>अजमेर<br><br>सदस्य<br>राजस्थान कर बोर्ड<br>अजमेर<br>7/3/14 | |